नोट: उन सभी व्यक्तियों को जो 31 जनवरी 2014 को आप्रवासन नज़रबन्दी में थे, उनके लिए नोटिस का उत्तर देने की अन्तिम तारीख़ 19 अक्तूबर 2018 थी और अब गुज़ारिश करना बन्द हो गया है। कमीश्नर निम्नलिखित लोगों से अंतिम तिथि के बाद निवेदन लेते रहेंगे:

अ. जिनके पास विभाग को दिए गए बकाया जानकारी के निवेदन हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने Department of Home Affairs को ऐसी जानकारी के लिए 19 अक्तूबर 2018 को या उससे पहले निवेदन या आवेदन-पत्र भेजा था जो जानकारी उनके उत्तर के लिए आवश्यक है पर उन्हें उनके निवेदन या आवेदन-पत्र उस समय तक कोई निर्णय नहीं बताया गया था; या

आ. वे व्यक्ति हैं जिनको विभाग से जानकारी हाल ही में मिली थी, वे व्यक्ति हैं जिन्होंने निवेदन या आवेदन-पत्र Department of Home Affairs को 19 अक्तूबर 2018 की अन्तिम तिथि से पहले ही भेज दिया था पर उन्हें उनके निवेदन या आवेदन-पत्र पर फ़ैसला 10 सितम्बर 2018 को या उसके बाद बताया गया था।

जो व्यक्ति उपरोक्त (अ) व (आ) के अंतर्गत आते हैं उनको नोटिस का उत्तर देने की अनुमति उस फ़ैसले के विषय संबंधी जानकारी व सामिग्री मिलने के 40 दिन तब तक दी जाएगी। वे लोग जिनको (अ) व (आ) के अंतर्गत माना जाता है, उनको Department of Home Affairs द्वारा अलग से संपर्क किया जाएगा।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Certification

This is to certify that the foregoing last paragraph in Hindi is a true and correct translation of an electronic copy of a Note in English language prepared by me on 28/10/2018.

Chitra Sharma, NAATI accredited translator (23910), Signature…………………………………………………

N.B.: The abovesigned, in making this translation, gives no warrant as to the authenticity or otherwise of the source document

Australian Government
Office of the Australian Information Commissioner

उन सब व्यक्तियों के लिए जो 31 **जनवरी** 2014 **को आप्रवासन नज़रबन्दी में थे।**

पृष्ठभूमि

1. 10 फ़रवरी 2014 को, आप्रवासन व सीमा सुरक्षा विभाग [Department of Immigration and Border Protection] **(विभाग**) ने गल्ती से अपनी वेबसाईट पर नज़रबन्दी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में उन लोगों की निजी जानकारी थी जो **31** जनवरी **2014** को आप्रवासन नज़रबन्दी सुविधाओं में थे या निवास निर्णय के अंतर्गत समुदाय में रहते थे**,** या नज़रबन्दी के वैकल्पिक स्थानों में थे [**डाटा का उल्लंघन (Data Breach)**]।

1. इस निजी जानकारी को विभाग की वेबसाईट से **19** फ़रवरी 2014 को व इन्टरनेट एतिहासिक अभिलेख (Internet Archive) में से 27 फ़रवरी 2014 को हटा दिया गया था।

2. 30 अगस्त 2015 को उन सभी व्यक्तियों की ओर से जिनकी निजी जानकारी विभाग ने गल्ती से छाप दी थी एक '**प्रतिनिधित्व शिकायत**' (**Representative Complaint**) की गई थी।

'प्रतिनिधित्व शिकायत' क्या होती है?

3. 'प्रतिनिधित्व शिकायत' एक ऐसी शिकायत होती है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा गोपनीयता अधिनियम 1988 [*Privacy Act 1988* (Cth)] के अंतर्गत उन अन्य लोगों की ओर से की जाती है, जिनकी किसी कार्य या व्यवहार से उनकी गोपनीयता में बाधा डालती है। कमिश्नर यह घोषणा कर सकते हैं कि इस वर्ग क्रिया के सदस्य जिनको किसी कार्य या व्यवहार के कारण हानि या क्षति हुई है, जो शिकायत का विषय है, उसके लिए मुआवज़े के हक़दार हो सकते हैं।

यह नोटिस आवश्यक क्यों है?

4. 'प्रतिनिधित्व शिकायत' के बारे में निर्णय लेने के लिए, जिसमें यह भी शामिल है कि डॉटा उल्लंघन (Data Breach) से जिन व्यक्तियों की निजी जानकारी प्रकाशित हुई थी उनको कोई नुकसान सहने के लिए वह लोग मुआवज़े के हकदार हैं या नहीं, कमीश्नर आप लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे।

5. यदि आप डॉटा उल्लंघन (Data Breach) से प्रभावित हुए थे पर नीचे बताई गई जानकारी नहीं देते हैं तो कमीश्नर यह फैसला ले सकते हैं कि वह सन्तुष्ट नहीं हैं कि आपको डॉटा उल्लंघन (Data Breach) के कारण कोई नुकसान हुआ है और हो सकता है कि डॉटा उल्लंघन (Data Breach) के लिए आपको कोई मुआवज़ा नहीं मिले।

मुझे क्या करना होगा ?

1. यदि डॉटा उल्लंघन (Data Breach) के प्रभाव से आपको कोई क्षति या हानि नहीं हुई थी तो आप किसी प्रकार के मुआवज़े के हकदार नहीं होंगे और आप इस नोटिस को नज़रअन्दाज़ कर सकते हैं।

2. यदि आपका मानना है कि डॉटा उल्लंघन (Data Breach) के प्रभाव से आपको कोई क्षति या हानि हुई थी और आप मौका चाहते हैं कि भविष्य में आपकी क्षति या हानि को पूरा करने के लिए आपको मुआवज़ा दिया जाए तो आपको कमीश्नर को **अपनी क्षति या हानि** के बारे में जानकारी देनी आवश्यक होगीः

(अ) आपको वह सब जानकारी देनी होगी जो आप सोचते हैं कि आपकी क्षति या हानि से संबंधित है।

(आ) यह जानकारी आप कानूनी घोषणा (Statutory declaration) या **आपके अपने शब्दों में लिखे हुए** बयान जिस पर आपके हस्ताक्षर हों के रूप में दे सकते हैं। वे कानूनी घोषणा या हस्ताक्षर किए हुए बयान जो सामान्य या प्रचलित फ़ॉर्म पर भेजे जाएँगे उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(इ) इस जानकारी में आप जो आप शामिल कर सकते हैं वह है जैसे कि डॉटा उल्लंघन (Data Breach) के समय का प्रमाण या अपको डॉटा उल्लंघन (Data Breach) के बारे में पहली बार कब पता चला, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट जिनमें बताया गया हो कि इसके बारे में पता लगने पर आपको कैसा लगा या आपकी क्या प्रतिक्रिया थी और इसके लिए जो भी आपका इलाज किया गया हो। जो मेडिकल रिपोर्ट इस नोटिस की तिथि के बाद लिए गए होंगे उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(ई) जो पत्र आपके लिए कोई अन्य व्यक्ति लिख कर देगा, जो आपके अपने शब्दों में नहीं होगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(उ) हो सकता है कि नीचे दी गई अन्तिम तिथि के बाद भेजी गई जानकारी पर कमीश्नर विचार न करें।

3. आपके लिए ज़रूरी है कि आप यह जानकारी oaic.gov.au/repcomplaint में प्रतिक्रिया फ़ॉर्म (Response Form) पर डालें (upload)। आप यह जानकारी repcomplaint@oaic.gov.au पर या GPO Box 5218, Sydney NSW 2001 को भी भेज सकते हैं। आपके लिए यह भी आवश्यक है कि आप पर्याप्त जानकारी (जिसमें आपका पूरा नाम व जन्म की तारीख़ व कोई संबंधित आप्रवासन विभाग का पहचान नम्बर शामिल हैं) जिससे कि OAIC व विभाग आपकी पहचान कर सकें।

4. आपके लिए आवश्यक है कि आप यह जानकारी इस तारीख़ तक भेज दें: **19 अप्रेल 2018, शाम को 4.00 बजे तक**।

'प्रतिनिधित्व शिकायत' को छोड़ देना

5. यदि आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ़ से 'प्रतिनिधित्व शिकायत' में कुछ करे व आप उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं तो आप 'प्रतिनिधित्व शिकायत' को कभी भी छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको OAIC की वेबसाईट oaic.gov.au/repcomplaint पर जाकर प्रतिक्रिया फ़ॉर्म (Response Form) भरना होगा।

6. 'प्रतिनिधित्व शिकायत' छोड़ने से हो सकता है कि आपके डॉटा उल्लंघन से संबंधित मुआवज़ा पाने के अधिकार पर प्रभाव हो। कृपया प्रतिक्रिया फ़ॉर्म (Response Form) पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें।

प्रश्न व सहायता

1. यदि इस नोटिस को समझने या इसका उत्तर देने के लिए आपको सहायता चाहिए तो कृपया OAIC से 1300 363 992 पर संपर्क करें या repcomplaint@oaic.gov.au पर ईमेल करें।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTFICATION

This is to certify that the foregoing Hindi text is a true and correct translation of an electronic copy of a document in the English language prepared by me on 31/1/2018.

Chitra Sharma, NAATI accredited translator, Level 3, NAATI number: 23910,

Signature: ……………………………………………………

N.B.: The above translator, in translating this document, gives no warranty as to the authenticity or otherwise of the source document.

नोट: सभी आप्रवासी जो नज़रबन्दी में हैं उनको 31 जनवरी 2014 को जो नोटिस दिया गया था उसका उत्तर देने के लिए कार्यकारी कमीश्नर ने दल के सदस्यों को 14 सप्ताह का अतिरिक्त समय देने की स्वीकृति दे दी है। निवेदन देने की अन्तिम तिथि अब 19 अक्टूबर 2018 को शाम 4 बजे है। ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि आगे और अधिक समय दिया जाएगा।